(139)

चेकलिस्ट क्र.–35

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला वन परिक्षेत्र के 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि ((नारंगी वन क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के कार्य के व्यपवर्तन हेतु मांग की गई है। राजस्व वनभूमि के लिये कलेक्टर कोरबा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो संलग्न है।

<u>संलग्न</u> :– उपरोक्तानुसार

वन मंडल अधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

वनमण्डलाधिकारी,
कोरबा वनमंडल, कोरबा

(एम.वी. अरविन्द)
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

एम.वी. अरविन्द
M.V. Arvind
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

वन परिक्षेत्र अधिकारी
करतला परिक्षेत्र

(159)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा,छ0ग0

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्र./ 173 / भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा दिनांक 09/02/2023

प्रति,

उप महाप्रबंधक (परियाजना)
गेल (इंडिया) लिमिटेड
द्वितीय तल, अरिएना द बुटिक होटल
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा
रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय :– कोरबा जिले के करतला तहसील के अंतर्गत 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/गैस पाइप लाइन/वन भूमि/अनापत्ति/2022 दिनांक 18.05.2022

–––000–––

विषयांतर्गत जिला कोरबा, वनमण्डल कोरबा, अनुभाग, कोरबा, तहसील बरपाली के अंतर्गत ग्राम चिचोली में मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड को 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य के लिए प्रभावित राजस्व वनभूमि का गैर वानिकी कार्य किए जाने हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रदाय हेतु निवेदन किया गया है।

तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा से उक्त परियोजना हेतु पत्र प्राप्त। पत्रानुसार परियोजना हेतु प्रभावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रभावित राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) का विवरण

क	अनुभाग/तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	प्रभावित रकबा हे0में	रिमार्क
1	कोरबा/करतला	चिचोली	297	0.0207	
2	कोरबा/करतला	चिचोली	269/1क	0.3749	
3	कोरबा/करतला	चिचोली	267/1क	0.3068	
4	कोरबा/करतला	चिचोली	254/1	0.4353	
5	कोरबा/करतला	चिचोली	875(875/1)	0.6682	
6	कोरबा/करतला	चिचोली	881/1	0.1855	
7	कोरबा/करतला	चिचोली	880	0.0959	
	योग			**2.0873 हे0**	

//2//

प्रस्थापित स्थल में किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्रक प्रभावित नहीं हो रहा है एवं न ही पत्रक वितरण हेतु शेष है। प्रस्तावित स्थल में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाएँ जैसे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः जिला कोरबा, वनमण्डल कोरबा के अनुभाग कोरबा, तहसील बरपाली अंतर्गत ग्राम चिचोली में मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड को 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में प्रभावित राजस्व वनभूमि रकबा 2.0873 हे0 का गैर वानिकी कार्य किए जाने बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान/विधि अनुसार कार्य किए जाने हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तो के अधीन कोई आपत्ति नहीं है–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड को वनमण्डल कोरबा के अनुभाग कोरबा, तहसील बरपाली अंतर्गत ग्राम चिचोली में 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वनभूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड को 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांरण नही किया जा रहा है।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/ 174 /भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा, दिनांक : 09/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार बरपाली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)